रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1684] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 10, 2015/श्रावण 19, 1937
No. 1684] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 10, 2015 /SRAVANA 19, 1937

पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2015

का.आ. 2178(अ).—केन्द्रीय सरकार, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में, केरल राज्य क्षेत्र के भीतर उक्त अधिनियम के अधीन, कोची सेलम पाइपलाइन प्राइवेट लिमिटेड (केएसपीपीएल) की कोची कोयम्बटूर सेलम एल पी जी पाइपलाइन के लिए, सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए केएसपीपीएल में प्रतिनियुक्ति पर श्री पी. मुरलीधरन, डिप्टी कलेक्टर (चुनाव), थ्रिसुर, केरल सरकार को प्राधिकृत करती है।

[फा. सं. आर-31015/8/2015-ओ आर-II]

पवन कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2015

S.O. 2178(E).—In pursuance of clause (a) of section 2 of the petroleum and mineral pipelines (acquisition of right of user in land) Act, 1962 (50 of 1962), the Central Government hereby authorizes Shri. P Muraleedharan, Deputy Collector (Election), Thrissur on deputation to Kochi Salem Pipeline Private Limited (KSPPL) to perform the functions of the competent authority, in the state of Kerala for Kochi Salem Pipeline Private Limited's Kochi-Coimbatore-Salem LPG Pipeline under the said act.

[F. No. 31015/8/2015-OR-II]

PAWAN KUMAR, Under Secy.

3423 GI/2015

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.